संख्या-26/2022/1393/23-10-21-37(सा0)/2019

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 02 फरवरी,2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद-चंदौली के 02 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि काआवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-3145/राज्य योजना (चालू कार्य)/2021-22 दिनांक 23.12.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत जनपद-चंदौली में लोक निर्माण विभाग के 02 चालू सेतु कार्यों हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-12 में अंकित कुल रू0 278.86 लाख (रूपये दो करोड़ अटठहत्तर लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख में)

de l0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	कुल लागत	सेतु निगम अंश	लोनि वि अंश	अनुबन्ध गठन से हुई बचत	दि0 01.04.2021 का अवशेष (लोनिवि)	वित्त विभाग पत्रांक-3 दि0 22.03.2021 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आवंटित धनराशि की फॉट (लोनिवि)		
									अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चंदौली	नि0ख0 चंदौली	जनपद चंदौली में कर्मनाशा नदी/ शहाबगंज में लेवा इलिया मार्ग किमी0-11 में सेतु का निर्माण कार्य	1405.31	835.14	570.17	46.43	523.74	206.33	55.54	261.87
2	चंदौली	नि0ख0 चंदौली	जनपद चन्दौली में अहरौरा मार्ग के किमी0-14 में गडई नदी पर सेतु निर्माण कार्य।	303.19	0.00	303.19	0.00	32.15	13.39	3.60	16.99
			लो0नि0वि0 योग	**1708.50**	**835.14**	**873.36**	**46.43**	**555.89**	**219.71**	**59.15**	**278.86**

अवमुक्त धनराशि 0 278.86 लाख (रूपये दो करोड़ अटठहत्तर लाख छियासी हजार मात्र)

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

2- उक्त सेतुओं पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-04-सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)-0421-कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना)-24-वृहत निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-14-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-26/2022/1393(1) /23-10-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी ।
(3) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(4) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(5) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।